

दक्षिण रेलवे /SOUTHERN RAILWAY

मंडल कार्यालय/Divisional Office,  
कार्मिक शाखा/Personnel Branch,  
पालक्काड/Palghat,  
दि./Date:14-01-2019

सं./No. J/P 509/PCF/OD

**ज्ञापन/ MEMORANDUM**

विषय : सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति हेतु अनुरोध -  
Sub: Request for Voluntary retirement from service- Reg  
संदर्भ : कर्मचारी का आवेदन दि. 01-10-2018.  
Ref: Employee's application Dt:01-10-2018.

\*\*\*

निम्नलिखित कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अनुरोध को, 3 महीने की सूचना अवधि की समाप्ति पर/ सूचना अवधि को विधिवत छूट देते हुए, वसंविप्र./पघट के दि.21-11-2018 के पत्र सं. पी.500/PGT/P/VR द्वारा प्राप्त सहमति के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31-01-2019 से स्वीकार किया जाता है। तदनुसार उनकी सेवाएं ऐसी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्तियों के लिए शासित सामान्य शर्तों व निबंधनों के अधीन दि.31-01-2019 से समाप्त की जाती है।

The voluntary retirement tendered by the following employee has been accepted by the competent authority with effect from 31-01-2019 after completion of the 3 months notice period with the concurrence of Sr.DFM/PGT vide letter No. P.500/PGT/P/VR Concurrence dated 21-11-2018. Accordingly his services will stand terminated on the A/N of 31-01-2019 subject to usual terms and conditions governing such voluntary retirements.

कर्मचारी का नाम/भ.नि.सं./ Name of the employee /PF.No.	वर्तमान पदनाम/ स्टेशन Present Designation/S tation	कार्यरत कार्यालय Working in the office of	वर्तमान वेतन बैंड व ग्रेड वेतन Present Pay Band & Grade pay	जन्म तिथि Date of birth	नियुक्ति की तारीख Date of appointment
Sri. Dinaprakash.O 15505255478	TTI/SL/ CAN	CTI/SL/ CAN	43600/Level-6	18-03-1962	03-05-1984

उन्हें अपने प्रभार में सौंपी गई सभी रेलवे सामग्रियों को वापस करना होगा। उन्हें सूचित किया जाता है कि यदि अनुमत अवधि के बाद रेलवे आवास का प्रतिधारण हो तो, रेलवे बोर्ड के पत्र सं.ई(जी)1/4-82 दि.4.6.1983 के अनुसार रेलवे आवास के हर एक महीने के अप्राधिकृत प्रतिधारण के लिए उनका एक सेट सेवा निवृत्तियोत्तर पास जक्त किया जाएगा और रेलवे आवास को खाली करने तक सेवा-निवृत्ति उपदान की पूरी रकम रोक रखी जाएगी।



He/She has to hand over the Railway materials entrusted to his/her charge. He/She is informed that retention of Railway quarters, if any, beyond the period for which permission has granted will result in forfeiture of one set of post retirement pass for every month of unauthorized retention of Railway quarters in terms of Railway Board's letter No.E (G) 1/4-82 of 04/6/1983 and the whole amount of Retirement gratuity will be withheld till the vacation of the Railway accommodation.

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।  
This has the approval of competent authority.

(आर कृष्णन/R.Krishnan)

सकाधि/या/APO/T

कृते मंकाधि/पालक्काड/For DPO/PGT

प्रति/Copy to Sr.DFM, Sr.DCM/PGT, ACM/I/PGT,RA/PGT  
Ch.OS/Settlement/Ch. S&WI/PGT  
OS/Bills, DAR, P4, Pass, employee thro CTI/SL/CAN  
DS/SRES, SRMU, AI SC/ST REA, O/O file, PCF.  
Chief Executive, SRECCS/TPJ & CBE

S.R.